संलग्नक–1

आवेदन –पत्र 2018–19

प्रेषित –

सदस्य सचिव
जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी,
जिला ....

पासपोर्ट साईज फोटो

विषय :– सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र (सरफेस/सबमर्सिबल) 3 HP/5 HP/7.5 HP/10 HP क्षमता हेतु आवेदन

महोदय,

1. मैं मेरे खेत पर उपरोक्तानुसार सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र उच्च उद्यानिकी (शैडनेट हाउस/ग्रीन हाउस/लो–टनल/फोगर्स) व जल संग्रहण ढ़ाचा/ भूमिगत जल स्त्रोत पर ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन/राज्य योजना के तहत् RHDS के माध्यम से अनुदान पर स्थापित कराना चाहता हूॅ। मेरा सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है –

1.	सौर पम्प संयंत्र की पम्प क्षमता (3 / 5 / 7.5 /10 HP)	
2.	लाभार्थी का आधार नम्बर	
3.	लाभार्थी का भामाशाह नम्बर	
4.	लाभार्थी का नाम	
5.	पिता/पति का नाम	
6.	श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)	
7.	गॉव/ग्राम पंचायत	
8.	दूरभाष नंबर	
9.	पोस्ट ऑफिस, पिन कोड नं. सहित	
10.	पंचायत समिति	
11.	तहसील	
12.	जिला	
13.	भूमि स्वामित्व (हैक्टेयर मे)	
14.	खसरा नंबर (दस्तावेज संलग्न करें)	

15.	सिंचाई स्त्रोत (दस्तावेज संलग्न करें)	
16.	भू–जल स्तर (मीटर मे)	
17.	क्षेत्र (वर्गमीटर मे) एवं स्थापना वर्ष 1. ग्रीन हाऊस 2. शैडनेट हाउस 3. लो–टनल 4. ड्रिप/ मिनी स्प्रिंकलर/ स्प्रिंकलर 5. जल संग्रहण ढ़ाचा 6.	
18.	सयंत्र स्थापना हेतु चयनित फर्म का नाम	
19.	माउन्टिंग ढांचे का प्रकार विकल्प	(मेन्यूअल ट्रेकर/ऑटो ट्रेकर)
20.	पम्प संयंत्र का प्रकार विकल्प	(सरफेस/सबमर्सिबल)
21.	जल स्त्रोत जिस पर सौर ऊर्जा आधारित पम्प संयत्र लगाना है	सतही जल संयत्र ढांचा/ कुआं/ ट्यूबवैल (गहराई .... मीटर)
22.	जल स्त्रोत की गहराई (मीटर में........)	

2. मैं सत्यापित करता हूॅ कि इस सौर उर्जा आधारित पम्प संयंत्र का उच्च उद्यानिकी – ड्रिप सिंचाई /मिनी स्प्रिंकलर / स्प्रिंकलर /फोगर्स सिंचाई हेतु उपयोग करूंगा तथा इसका बेचान या हस्तातंरण आगामी 10 वर्ष तक नही करूंगा।
3. मैं आपकी संस्था के माध्यम से आपूर्तिकर्ता एवं RHDS के साथ स्थापित त्रि–पार्टी अनुबंध की शर्तो का पालन करूगा। संयंत्र स्थापन हेतु आवश्यक बोरवेल /संग्रहण ढ़ाचे की व्यवस्था मेरी स्वंय की लागत पर उपलब्ध कराई जायेगी।

घोषणाः– उक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। दिशानिर्देशानुसार मै स्वयं अनुदान का उपयोग करूंगा एवं दुरूपयोग नही करूंगा। मैने पूर्व में इस योजना अन्तर्गत किसी प्रकार का अनुदान नही लिया है एवं 7.5 व 10 एचपी क्षमता का सौर पम्प संयंत्र की मॉग करने पर लगने वाली अतिरिक्त कृषक हिस्सा राशि का वहन मेरे स्वंय के द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(लाभार्थी का नाम)

संलग्न –
1. जमाबन्दी /पासबुक/ जल स्त्रोत की छाया प्रति।
2. विद्युत विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या
3. कृषक का आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड की छाया प्रति
4. कृषक शपथ–पत्र (संलग्नक–2 अ एवं 2 ब)
5. अन्य आवश्यक दस्तावेज

संलग्नक–2 (अ)

हाईटेक उद्यानिकी /कृषि हेतु सौर जल पम्पिंग निर्माण कराने वाले कृषक द्वारा शपथ–पत्र

1. मुझे हाईटेक हॉर्टीकल्चर (उच्चतम उद्यानिकी तकनीक)/कृषि की जानकारी है एवं मैं इसे अपनाने को इच्छुक हूँ।
2. मेरे पास भू–स्वामित्व है।
3. मेरे पास सिंचाई की स्थाई सुविधा है। सौलर पम्प हेतु वांछित जल संग्रहण ढांचे की व्यवस्था मेरे पास है।
4. मैं विभागीय दिशा–निर्देशानुसार/ मापदण्डानुसार सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से सौलर पम्प स्थापित करने में इच्छुक/प्रतिबद्ध हूँ।
5. मैं प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व/विभाग के निर्देशानुसार मेरी कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के लिये सहमत/ प्रतिबद्ध हूँ।
6. मैं सौर उर्जा आधारित पम्प संयत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग मे लूंगा एवं इसकी सुरक्षा, संरक्षा एवं सामान्य रखरखाव करूंगा।

कृषक के हस्ताक्षर

कृषक का नाम

पता : ग्राम : ....

पंचायत समिति : ....

तहसील : ....

जिला : ....

दूरभाष सम्पर्क (कोड सहित) : मो0 ....

संलग्नक–2 (ब)

सौर उर्जा पम्प पर राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान हेतु कृषक द्वारा शपथ–पत्र (स्वयं प्रमाणित)

(कृषक द्वारा वहन किया जावें)
(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ–पत्र पर)

1. मैं कृषक श्री ....पुत्र श्री..................................निवासी................................द्वारा विद्युत विभाग में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर रखा है एवं सम्बन्धित डिस्काम की कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की सूची में कमाक न0 ....पर मेंरा नाम है। मैं उद्यान विभाग से सौर उर्जा पम्प परियोजना अन्तर्गत 3 एचपी पर 50/ 5 एचपी पर 55 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन समर्पित करने को सहमत हूॅं एवं विद्युत विभाग द्वारा इस आशय का जारी प्रमाण–पत्र संलग्न कर रहा हूॅं एवं घोषणा करता हूॅं कि भविष्य में कभी भी मैं अनुदानित कृषि विद्युत कनेक्शन की मांग विद्युत विभाग से नही करूंगा।

या

2. मैं कृषक श्री ....पुत्र श्री...............................निवासी............................... घोषणा करता हूं कि मेंरे पास कृषि विद्युत कनेक्शन नही है व ना ही मेंरे द्वारा डिस्कॉम में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर रखा है। मैं उद्यान विभाग से सौर उर्जा पम्प परियोजना अन्तर्गत 3 एचपी पर 35/ 5 एचपी पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करना चाहता हूॅं एवं घोषणा करता हूॅं कि भविष्य में मुझे विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना पर अनुदान नही दिया जावें।

नोट – 3 एचपी पर 50 या 5 एचपी पर 55 प्रतिशत अनुदान हेतु डिस्कॉम से जारी कृषि कनेक्शन आवेदन प्राप्ति रसीद संलग्न करें।

कृषक हस्ताक्षर

कृषक का नाम
पता : ग्राम : ....
पंचायत समिति : ....
तहसील:: ....
जिला : ....
दूरभाष सम्पर्क (कोड सहित) : मो0 ....

<u>संलग्नक–3 (अ)</u>

कृषक हिस्सा राशि

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन एवं राज्य योजनान्तर्गत 3/5/7.5/10 HP एस पी वी सौलर पम्प स्थापित कराने के लिये वांछित कृषक हिस्सा राशि रू................................ मेरे द्वारा DD/ECS/ RTGS द्वारा सदस्य सचिव, DHDS ………………….. के पक्ष में जमा कराने के लिए सहमत हूँ।

नोट :– परियोजना अन्तर्गत 7.5 व 10 एचपी क्षमता का सौर पम्प संयंत्र की मॉग करने पर लगने वाली अतिरिक्त कृषक हिस्सा राशि का वहन मेरे स्वंय के द्वारा किया जायेगा।

हस्ताक्षर

कृषक नाम व पता

<u>संलग्नक–3 (ब)</u>

आवेदन पात्रता सत्यापन/प्रमाण– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री ....पुत्र/ पत्नि श्री...................................... निवासी...............................के खसरा नं0................................में सिंचाई स्त्रोत............................स्थापित है तथा कृषक भू– स्वामित्व ....है0 का है जिसमें ....है0 क्षेत्र में ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर सिंचाई से सब्जियॉ/फूल/फलोद्यान/कृषि फसल ली जा रही है या ....वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस/शेड हाउस/लो–टनल्स में सब्जियों/फूलो की खेती की जा रही है एवं कृषक के पास कृषि विद्युत कनेक्शन नही है व कृषक का खेत जहां पर वह सौर उर्जा पम्प सयंत्र स्थापित करवाना चाहता है, वह ग्रिड (पावर हाउस) से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर है।

कृषक सौर उर्जा आधारित पम्प सयंत्र स्थापित करने के लिये पात्र है।

कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी /
कृषि अधिकारी

संलग्नक–3 (स)

सौलर पम्प हेतु कार्यदायी फर्म द्वारा तकनीकी रिर्पोट

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री...पुत्र श्री.................................. गांव ....तहसील...जिला.. के पास उपलब्ध जल स्त्रोत व सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की गहनता से जांच कर ली है। कृषक को उपलब्ध करवाया जाने वाला सौलर पम्प जल स्त्रोत में पानी की उपलब्धता व हैड आवश्यकतानुसार है। पम्प की क्षमता/तकनिकी कमी के लिए कार्यदायी फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर कार्यदायी फर्म

संलग्नक–3 (द) I

विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन प्रमाण– पत्र

(राज्य योजना से 50 / 55 प्रतिशत अनुदान हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री ....पुत्र श्री.. निवासी..द्वारा विद्युत विभाग में सम्बन्धित डिस्काम की कृषि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की सूची में कमाक न0 .... पर नाम है इसके साथ ही कृषक द्वारा उद्यान विभाग से सौर उर्जा पम्प संयंत्र पर अनुदान हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन समर्पित कर दिया है। कृषक को विद्युत विभाग द्वारा भविष्य मे कभी भी अनुदानित कृषि विद्युत कनेक्शन नही दिया जावेगा।

नोट – 50 / 55 प्रतिशत अनुदान हेतु डिस्कॉम से जारी कृषि कनेक्शन आवेदन प्राप्ति रसीद संलग्न करें।

अधिशाषी / सहायक अभियंता

डिस्कॉम : ....

संलग्नक–3 (द) II

विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में प्रमाण– पत्र

(राज्य योजना से 35/40 प्रतिशत अनुदान हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री ....पुत्र श्री.. निवासी.. के पास कृषि विद्युत कनेक्शन नही है व ना ही कृषक द्वारा डिस्कॉम में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर रखा है।

अतः कृषक द्वारा उद्यान विभाग से सौर उर्जा पम्प संयंत्र पर अनुदान प्राप्त करने पर उसे भविष्य में विद्युत विभाग द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना पर अनुदान नही दिया जायेगा।

अधिशाषी/सहायक अभियंता

डिस्कॉम : ....

<u>संलग्नक–4</u>

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन एवं राज्य योजनान्तर्गत सोलर पम्प सेट स्थापना हेतु अनुबंध

(500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ–पत्र पर)

प्रपत्र

(कृषक द्वारा वहन किया जावें)

त्रि–पार्टी अनुबंध

(ऋणी/अऋणी कृषक)

अनुबंध डीड का कियान्वयन आज दिनांक .... 2018–19, स्थान............................, जिला................., को एच.डी.एस.......................(प्रतिनिधि श्री ....), कृषक श्री/श्रीमती......................, गॉव..................... तहसील.......................जिला................................ राजस्थान एवं सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म मैसर्स .... (प्रतिनिधि श्री ....), के बीच सम्पन्न किया गया जिसमे निम्न शर्ते सबंधित पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती है।

1. कृषक अनुदान पर सोलर पम्प लगाने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाये गये हैं। अनुदान राशि का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता को करने के लिये कृषक सहमत है।
2. संयत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक की मॉग पर खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा–जल का परीक्षण तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र का रूप–रेखा (डिजाईन) तैयार किया गया है। कृषक की आवश्यकता तथा रूप–रेखा (डिजाईन) के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये है। इसके पश्चात् तकनीकी–आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जाकर पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की गई है। डिजाईन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी (Over/Under design) के लिये आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
3. कृषक वांछित क्षेत्र जिस पर सोलर पम्प निर्माण किया जाना है निश्चित समयावधि मे पूर्ण/ तैयार करने हेतु सहमत हैं।
4. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रफोर्मा इनवाईस प्रस्तुत करने, त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने एवं कार्यादेश जारी होने पर एवं सयंत्र आपूर्ति पर डी.एच.डी.एस. द्वारा दिशा–निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
5. कृषक आपूर्तिकर्ता/ कम्पनी को सामान रखने के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा एवं कृषक द्वारा स्थापित सौर पम्प संयंत्र का संचालन विद्युत/बिजली कनेक्शन द्वारा नही किया जायेगा।
6. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म द्वारा 45+20=65 दिन की समयावधि में सोलर पम्प सेट की स्थापना का कार्य पूर्ण करना होगा।
7. अनुमोदित फर्म द्वारा एचडीएस को लिखित रूप में सोलर पम्प सेट स्थापना की सूचना देनी होगी, जिससे कि एचडीएस 7 दिवस में संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सके।
8. सोलर पम्प सेट स्थापना हेतु अधिकृत फर्म भौतिक सत्यापन और प्रयोगिक परीक्षण एचडीएस/ अधिकृत संस्था से करायेगी एवं संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही भुगतान देय होगा।
9. एचडीएस द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टी के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
10. भौतिक सत्यापन एवं प्रायोगिक परीक्षण के उपरांत सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म सोलर पम्प सेट कृषक को सुपुर्दगी कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ती रसीद देनी होगी।
11. अनुमोदित सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म 45 दिन के भीतर संयंत्र नहीं लगाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अन्य सूचीबद्व सप्लायर को चुनने के लिये स्वतंत्र होगा।
12. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म, कृषक द्वारा जारी कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र, अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत किया जावेगा। आर.एच.डी.एस. द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म को अऋणी प्रकरणों में शेष रही राशि का भुगतान किया जावेगा। ऋणी प्रकरणों में एच.डी.एस./संबधित बैंक द्वारा शेष अनुदान/कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
13. सोलर पम्प सेट लगने के 10 वर्ष की अवधी तक कृषक उसमें बदलाव, हटाना या किसी के बेचना व खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। यदि ऐसा किया गया तो देय अनुदान वसूली योग्य होगा।
14. सौलर पम्प सैट का बीमा सम्बन्धित सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता स्तर से कराया जावेगा।

15. सौलर पम्प सैट की सुरक्षा एवं संरक्षा सम्बन्धित कृषक स्तर से कराया जावेगा। संयंत्र के सौर पैनल या अन्य अवयव चोरी होने की स्थिति मे लाभार्थी कृषक द्वारा अविलम्ब विभाग को सूचित करते हुए संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रपट दर्ज करानी होगी।
16. एचडीएस या सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म कृषक की त्रुटि से संयंत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
17. कार्यदायी फर्म द्वारा पांच वर्ष की गारण्टी/वारण्टी एवं इसके पश्चात् आगामी पांच वर्ष तक विक्रय पश्चात् सेवा प्रदान की जावेगी।
18. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म के अनुबन्धित समयावधि में कोई बनावट संबंधी विकार या अन्य बनाते समय रही कमी में कलपूर्जों की बिना किसी शुल्क के बदलना होगा।
19. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म से रिपेयर/बदलने हेतु 7 कार्य दिवस का समय दिया जायेगा। इस कार्य हेतु लिखित में किसान की ओर से शिकायत/प्रार्थना एचडीएस को प्रस्तुत करनी होगी। सामान बदलने का कार्य 7 दिवस में करना होगा ताकि कार्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े।
20. संयत्र की फिटिंग सामग्री, पार्ट जो कि गारन्टी के अधीन नहीं आते एचडीएस की अनुमोदित दर/बाजार दर के अनुसार ऐसे अवयवों का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जावेगा।
21. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म कृषक के संयंत्र लगाने का रेखांकन ले–आउट कार्य उपलब्ध करायेगा, एवं रख रखाव संबंधी तकनिकी जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जावेगा।
22. सोलर पम्प स्थापित करने वाली फर्म द्वारा प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था की जावेगी, वर्ष में कुल 2 प्रशिक्षण कार्य होगें।
23. सौर उर्जा पम्प संयंत्रो पर अनुदान 3 व 5 एचपी तक के संयंत्रो पर ही देय होगा। कृषक द्वारा पात्रता से अधिक एचपी का संयंत्र स्वेच्छानुसार स्थापित करवाने पर अतिरिक्त राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी एवं इस राशि का भविष्य में कभी भी क्लेम नही करेगा।

एच.डी.एस प्रतिनिधि ....

सौलर पम्प कार्यदायी फर्म ....

कृषक ....

गवाह ....

विधुत कनेक्शन विहिन कृषक हेतु भू–स्वामित्व में जल–स्रोत अंकित होने पर देय शपथ पत्र

मैं कृषक श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जाति .... निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं किः

1. मेरे भू–स्वामित्व (रकबा .... है) के खसरा नं .... ग्राम .... पटवार हल्का .... में सिंचाई स्रोत (कुआं/नलकूप इत्यादि) .... दर्ज/अंकित है।
2. यह जल स्रोत सिंचाई योग्य है तथा वर्तमान में सिंचाई डीजल चलित सिंचाई संयंत्र द्वारा की जा रही है।
3. उक्त जल स्रोत में कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है।
4. कृषक/उद्यानिकी की नवीनतम तकनीकी अपनाकर खेत की जा रही है।

कृषक हस्ताक्षर

कृषक का नाम
पताः ग्रामः ....
पंचायत समितिः ....
तहसीलः ....
जिलाः ....
मोबाइल नंबरः ....

प्रमाणित

कृषि पर्यवेक्षक/पटवारी

जल स्त्रोत प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री/श्रीमति/सुश्री.. पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री.. चक................................... के खसरा नं./मुरब्बा नं. .... में सिंचाई स्त्रोत..................................(डिग्गी/टयूबवैल/कुंआ/ जल संग्रहण ढ़ांचा/जलहौज/फार्म पौण्ड़) है। उक्त जल स्त्रोत का उपयोग कृषक द्वारा सिंचाई में किया जा रहा है।

प्रमाणितकर्ता कृषि पर्यवेक्षक/

संरपच/पंच/पटवारी

नाम मय सील